

**ग्राम पंचायत वरपा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016**

**भाग—एक**

- 1 प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वरपा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—**

**(i) प्रधान:—**

| क्र०सं० | नाम                | अवधि              |
|---------|--------------------|-------------------|
| 1       | श्री शकुन्तला देवी | 1.4.13 से 31.3.16 |

**(ii) सचिव:—**

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| 1 | श्री जगदीश कुमार | 1.4.13 से 10.10.14  |
| 2 | श्री सुरेश कुमार | 11.10.14 से 31.3.16 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—** ग्राम पंचायत वरपा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

| क्र०सं० | पैरा सं० | गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार               | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | 4.1      | रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना            | —                   |
| 2       | 7        | पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि              | 0.31                |
| 3       | 8        | अनुदानों का उपयोग न करना                          | 11.77               |
| 4       | 10       | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय | 8.80                |

**भाग—दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण:—**

ग्राम पंचायत वरपा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.10.16 से 5.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच

हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 6/14, व 7/15 तथा 5/13, 12/14 व 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत वरपा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD (211)/2016-177, दिनांक 5.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत वरपा से अनुरोध किया गया है।

### 4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत वरपा के अवधि 4/13 से 3/16 के स्वस्त्रोतों व अनुदानों की संकलित वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक के अनुसार निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 (क) से 1 (ड) में दिया गया है:-

| वर्ष    | अथशेष      | प्राप्ति | ब्याज | योग        | व्यय       | अन्तिम शेष |
|---------|------------|----------|-------|------------|------------|------------|
| 2013-14 | 586565.67  | 1317943  | 23469 | 1927977.67 | 879073     | 1048904.67 |
| 2014-15 | 1048904.67 | 3790640  | 27440 | 4866984.67 | 4168232.85 | 698751.82  |
| 2015-16 | 698751.82  | 4061548  | 32372 | 4792671.82 | 2997871.98 | 1794799.84 |

ग्राम पंचायत वरपा के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

#### (i)

| Sr.No.       | Name of Bank | A/c No.          | Amt. ₹             |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1            | S.B.I.       | 11390272998      | 278059.17          |
| 2            | K.C.C.       | 20007336831      | 1508974.00         |
| 3            | K.C.C.       | 20064000075      | 2842.50            |
| 4            | H.G.B.       | 8961010007121    | 1299.00            |
| 5            | H.G.B.       | 8961010007112    | 1378.00            |
| 6            | P.N.B.       | 4519000100017152 | 2247.17            |
| 7            | K.C.C.       | 20007368172      | Nil                |
| 8            | K.C.C.       | 20007368116      | Nil                |
| <b>Total</b> |              |                  | <b>₹1794799.84</b> |

(ii) हस्तगत राशि = ₹440/-

#### 4.1 रोकड़ बही का रख-रखाव नियमानुसार न करना:—

ग्राम पंचायत वरपा की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है जोकि उक्त नियम के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का निर्माण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

#### 5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:—

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र०सं० | अवधि                | हस्तगत राशि |
|---------|---------------------|-------------|
| 1       | 7.7.14 से 31.8.14   | 1400        |
| 2       | 24.10.14 से 2.11.14 | 1640        |

#### 6 बजट प्राकलन तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

## 7 पंचायत राजस्व ₹0.31 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

पंचायत की स्व स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के गृहकर राजस्व की ₹30830/- वसूली हेतु शेष थी।

### (i) गृहकर (परिशिष्ट-2)

| वर्ष    | अथशेष | मांग | योग   | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष |
|---------|-------|------|-------|----------|----------------|
| 2013-14 | 13880 | 5650 | 19530 | —        | 19530          |
| 2014-15 | 19530 | 5650 | 25180 | —        | 25180          |
| 2015-16 | 25180 | 5650 | 30830 | —        | 30830          |

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

### 7.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करना:—

ग्राम पंचायत वरपा के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा 31.3.16 तक प्रति परिवार की वसूली हेतु शेष राशि की गणना, मांग व संग्रह रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को 31.3.16 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8 अनुदान ₹11.77 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹1177068/- (परिशिष्ट-3) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि में व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

### 8.1 दिनांक 31.3.16 को बैंकों में जमा राशियों व अनुदानों की शेष राशियों में ₹617731.84 के अन्तर के बारे में:—

ग्राम पंचायत की विभिन्न बैंक खातों में 31.3.16 को जमा शेष राशियों व अनुदानों की शेष राशि का मिलान करने पर ₹617731.84 का भारी अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशि किस-किस मद/स्रोत की है, का पूर्ण ब्यौरा तैयार करके कृत अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

|       |                                   |             |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| (i)   | 31.3.16 को बैंक खातों में जमा शेष | ₹1794799.84 |
| (ii)  | 31.3.16 को अनुदानों का शेष        | ₹1177068.00 |
| (iii) | अन्तर                             | ₹617731.84  |

#### 9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| Sr. No. | Grant | Month | Name of Work                          | Expenditure ₹ |
|---------|-------|-------|---------------------------------------|---------------|
| 1       | 2515  | 12/14 | R/O Mahila Mandal Bhawan, Lote        | 156800        |
| 2       | CRF   | 9/15  | R/O Tozing Khul, Vill Tozing          | 100000        |
| 3       | CRF   | 9/15  | R/O Water Storage Tank Vill. Yongrang | 90000         |
| 4       | CRF   | 9/15  | R/O Ghar Khul, Lote                   | 52000         |
| 5       | IWMP  | 9/15  | C/O water storage Tank Lote           | 617039        |

#### 10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.80 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹879756/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

#### 11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों

का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**Sr.No. Name of Register**

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Bill Register Form 13                      |
| 2 | T.A. Check Register Form 20                |
| 3 | Stationery Register-Form 28                |
| 4 | Work Register                              |
| 5 | Cheque issue/receipt Register              |
| 6 | Temperary Advance Register                 |
| 7 | stock entry of Consumable Register form 26 |

**12 क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करना:—**

ग्राम पंचायत वरपा के स्टॉक रजिस्ट्रों व बिल वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 में दिए विवरणानुसार क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधन व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित थी। अतः प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित रजिस्टर में दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**13 वितरित स्टॉक/स्टोर की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्रस्तुत न करना:—**

ग्राम पंचायत वरपा द्वारा प्राप्त अनुदानों से माह 12/14 में निम्नविवरणानुसार विभिन्न मदों का क्रय करके पात्र ग्रामीणों में वितरित किया गया है परन्तु निम्नविवरणानुसार क्रय स्टॉक/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी तथा जिन पात्र ग्रामीणों को इन मदों को वितरित किया गया उनका विवरण व वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः प्रत्येक क्रय मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज करके व ग्रामीणों का पूर्ण विवरण तथा प्राप्तकर्ता रसीदें सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

| Sr.No. | Grant                        | Cash Book<br>Page/Month | Bill No.           | Firm                                            | Item                  | Amt. ₹ |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1      | Hariyali<br>(Karing II)      | 21/12/14                | 22103/6.9.14       | M/S H.P. Agro<br>Industries<br>corporation Ltd. | Drip/Kit/25<br>no.    | 625000 |
| 2      | Hariyali<br>(Yangrang<br>II) | 17/12/14                | 22135/17.9.14      | -do-                                            | Q.C pipes 247<br>no.  | 354013 |
| 3      | V.M.I.S.                     | 19/5/13                 | 199291993/12.10.12 | M/s Orchard<br>Enterpries Kullu                 | Power Tiller 2<br>No. | 243162 |

#### 14 मनरेगा के मस्ट्रोल को पूर्ण न करने बारे:-

मनरेगा की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 74, माह 9/15 की जाँच करने पर पाया गया कि मनरेगा के तहत कार्य करने पर 17 आवेदकों को ₹44051/-का भुगतान चैक संख्या 150287 द्वारा किया गया, परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित मस्ट्रोल संख्या 19, अवधि 13.8.15 से 26.8.15 की जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान से पूर्व मस्ट्रोल को पूर्ण नहीं किया गया था। मस्ट्रोल पर आवेदकों के हस्ताक्षर व प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी, जोकि प्रत्येक कार्य दिवस पर लगाई जानी अपेक्षित थी। मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना किया गया भुगतान अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मस्ट्रोल संख्या 19 की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तथा सक्षम अधिकारी से मस्ट्रोल को सत्यापित करवाकर आगामी अंकक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही मस्ट्रोल की औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

#### 15 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

#### 16 निष्कर्ष:- ग्राम पंचायत वरपा की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्ट्रों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(viii) 5/2016-खण्ड-953-956 दिनांक:13.02.2017  
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत वरपा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
  - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
  - 3 जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति, हि0प्र0
  - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

